



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पीठिसीन अधिकारी

डॉ. अंजली राजोरिया (I.A.S.)  
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

| क्र.सं. | प्रकरण संख्या        | प्रार्थी                        | अप्रार्थी  |
|---------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1       | 185/2024<br>2024/214 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री शंकर पुत्र कुशाला<br>राजुबाई पत्नि शंकर मीणा, लुहारिया  |
| 2       | 187/2024<br>2024/216 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्रीमती लीलादेवी पत्नि बालुराम<br>बालुराम पुत्र बगदीराम मीणा अणगौरा  |
| 3       | 188/2024<br>2024/217 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्रीमती हिराबाई पति हरिशंकर<br>हरिशंकर पुत्र धुलीराम मीणा, अणगौरा  |
| 4       | 190/2024<br>2024/219 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि हिरालाल मीणा,<br>अणगौरा   |
| 5       | 191/2024<br>2024/220 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री रावजी, अम्बालाल पुत्र नानुराम<br>नन्दुडी पत्नि रावजी<br>भुलकी पत्नि अम्बालाल<br>मांगुडी पत्नि मंगला मीणा, अणगौरा        |
| 6       | 197/2024<br>2024/226 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री विष्णु पुत्र भंवरलाल गुर्जर<br>श्रीमती यशोदा पत्नि विष्णु गुर्जर, अचलपुर  |
| 7       | 204/2024<br>2024/233 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री देवीलाल पुत्र नारायण<br>श्रीमती अंगुशी पति देवीलाल गुर्जर,<br>अचलपुर  |
| 8       | 205/2024<br>2024/234 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री गोपाल पुत्र कंवर लाल<br>श्रीमती लीलाबाई पति गोपाल<br>सुरेश पिता कंवर लाल<br>सुमित्रा पत्नि सुरेश गुर्जर, अचलपुर         |
| 9       | 225/2024<br>2024/254 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्रीमती राजाबाई पति नाथु मीणा,<br>बडीबम्बोरी   |
| 10      | 226/2024<br>2024/255 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री रमेश पिता रामलाल<br>कमलाबाई पत्नि रमेश कलाल, अचलपुर   |
| 11      | 230/2024<br>2024/259 | सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ | श्री शम्भु पन्नालाल पिता सुखाजी गुर्जर<br>श्रीमती कमलीबाई पत्नि शंभु गुर्जर<br>श्रीमती रेखा पत्नि पन्नालाल गुर्जर,<br>अचलपुर |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :-

1. श्री पैरोकार सरकार
2. श्री विपक्षीगण स्वयं

—: आदेश :-

दिनांक :- 15/01/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/विपक्षी/आवंटीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021-2022 के दौरान निम्नांकित अनुसार किये गये आवंटनों के संबंध में राज्यादेश से जिला कलक्टर द्वारा गठित आवंटन एवं नामान्तरकरण जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

रिपोर्ट अनुसार उक्त रागरत प्रकरणों को निरस्त योग्य बताया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि आवंटन प्रकरणों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

| क्र.सं. | आवंटीगण  | गिराल संख्या एवं आदेश दिनांक | राजस्व गांव | आवंटित भूमि  | कुल रकबा है. में             | मंरा आवंटित भूमि है. में     |
|---------|--|------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1       | श्री शंकर पुत्र कुशाला राजुबाई पत्नि शंकर मीणा, लुहारिया   | 194 / 02.09.2022             | लुहारिया    | 1026 / 624<br>1028 / 671                             | 0.16<br>0.24                 | 0.16<br>0.24                 |
| 2       | श्रीमती लीलादेवी पत्नि बालुराम बालुराम पुत्र बगदीराम मीणा अणगौरा   | 203 / 02.09.2022             | अणगौरा      | 800 / 43   | 0.20                         | 0.20                         |
| 3       | श्रीमती हिराबाई पति हरिशंकर हरिशंकर पुत्र धुलीराम मीणा, अणगौरा   | 205 / 02.09.2022             | अणगौरा      | 817 / 235<br>819 / 801                               | 0.15<br>0.21                 | 0.15<br>0.21                 |
| 4       | श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि हिरालाल मीणा, अणगौरा  | 202 / 02.09.2022             | अणगौरा      | 164<br>802 / 167                                     | 0.08<br>0.20                 | 0.08<br>0.20                 |
| 5       | श्री रावजी, अम्बालाल पुत्र नानुराम नन्दुडी पत्नि रावजी भुलकी पत्नि अम्बालाल मांगुडी पत्नि मंगला मीणा, अणगौरा         | 207 / 02.09.2022             | अणगौरा      | 811 / 644  | 0.66                         | 0.66                         |
| 6       | श्री विष्णु पुत्र भंवरलाल गुर्जर श्रीमती यशोदा पत्नि विष्णु गुर्जर, अचलपुर   | 02 / 21.12.2021              | अचलपुर      | 2154 / 522<br>2156 / 526<br>2158 / 540<br>2160 / 541 | 0.08<br>0.16<br>0.04<br>0.12 | 0.08<br>0.16<br>0.04<br>0.12 |
| 7       | श्री देवीलाल पुत्र नारायण श्रीमती अंगुरी पति देवीलाल गुर्जर, अचलपुर  | 03 / 21.12.2021              | अचलपुर      | 2141 / 507<br>2148 / 520                             | 0.40<br>0.10                 | 0.40<br>0.10                 |
| 8       | श्री गोपाल पुत्र कंवर लाल श्रीमती लीलाबाई पति गोपाल सुरेश पिता कंवर लाल सुमित्रा पत्नि सुरेश गुर्जर, अचलपुर          | 10 / 21.12.2021              | अचलपुर      | 2142 / 507<br>2144 / 512<br>2146 / 517               | 0.20<br>0.10<br>0.20         | 0.20<br>0.10<br>0.20         |
| 9       | श्रीमती राजाबाई पति नाथु मीणा, बडीबम्बोरी  | 153 / 25.04.2021             | बडीबम्बोरी  | 1320 / 586   | 0.26                         | 0.26                         |
| 10      | श्री रमेश पिता रामलाल कमलाबाई पत्नि रमेश कलाल, अचलपुर  | 18 / 21.12.2021              | अचलपुर      | 2131 / 2109  | 0.42                         | 0.42                         |
| 11      | श्री शम्भु, पन्नालाल पिता सुखाजी गुर्जर श्रीमती कमलीबाई पत्नि शंभु गुर्जर श्रीमती रेखा पत्नि पन्नालाल गुर्जर, अचलपुर | 09 / 21.12.2021              | अचलपुर      | 2166 / 298   | 0.60                         | 0.60                         |

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपस्थित आवंटीगणों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विधिवत् सूनवाई के अवसर प्रदान कराते हुए प्रत्येक आवंटी की व्यक्तिशः सुनवाई की गई उक्त दौरान उपस्थित आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज बाबत् कब्जा काशत एवं अन्तरण तथा जवाब प्रार्थना पत्रों को रिकार्ड पत्रावली पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि आवंटन प्रकरणों के संबंध में जिला कलक्टर महोदय स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं तथा आवंटित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में विहित प्रावधानों की समुचित पालना किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ द्वारा

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)


राजकीय भूमियों का आवंटन किया गया है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य होकर विवादित समस्त आवंटन निरस्त योग्य होने से खारीज फरमावें।

इसी परिपेक्ष्य में उपस्थित अधिकांश अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा दौरान सूनवाई एवं बहस अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमियों पर निरन्तर कब्जा-काश्त के आधार पर प्राप्त नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिखित एवं मौखिक जवाब का हवाला देते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर हमारा लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर संबंधित पटवारीगण एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा बताये अनुसार आवंटन हेतु देय हर्जा खर्चा फीस सहित आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर आवंटन किये गये हैं जिसे यथावत् रखा जावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना पत्रों तथा संलग्न रिकार्ड दस्तावेज के साथ साथ विवादित आवंटन प्रकरणों के संबंध में प्राप्त विविध शिकायत एवं जांच प्रार्थना पत्रों दिनांक 10.01.2024 एवं 31.01.2024 तथा आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 एवं 12.04.2024 तथा आवंटन मिशलों तथा आवंटित भूमियों वस्तु स्थिति रिपोर्ट एवं दर्ज गैर-खातेदारी नामान्तरकरणों के साथ साथ प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश पत्रों को राजस्व ग्रुप-3 विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25.04.2024 व 02.07.2024 एवं 24.08.2024 तथा प्रकरण में प्रचलित राजस्व विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान :- 2021-22 के दौरान राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किये आवंटन एवं नियमन हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रस्तावित समस्त कार्यवाहियों की अक्षरक्ष : पालना नहीं की गई है इन तथ्यों की संपुष्टि तथा आवंटन हेतु उद्घोषित भूमियों के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थितियों परिस्थितियों को संज्ञान में नहीं लाया जाकर संबंधित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूमियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दिया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

इसी प्रकार देखने रिकार्ड आवंटन कार्यवाही एवं आवंटन मिशलों संज्ञान में आया कि प्रस्तुत आवेदनों को नियमानुसार दर्ज रिकार्ड एवं सूचिबद्ध नहीं किया गया था तथा आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों के सड़क सीमा की अथवा प्रतिबंधित श्रेणी में निहित होने अथवा रास्ता बाधित और रास्ता विवाद निर्मित करने वाली या पट्टी पठार छोटी पट्टी आवंटन के रूप में निलामी योग्य होने संबंधि जानकारियों को रिकार्ड पर लाये बिना आवंटन हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित की गई जिससे भविष्य में कई राजस्व एवं सिविल विवाद व्युत्पन्न होना संभावित हो गया है। साथ ही ऐसी भूमियों के आवंटन के दौरान मौके पर काबिज व्यक्तियों से पृथक व्यक्तियों तथा आवंटित भूमियों के मूल राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतों से पृथक ग्रामवासीयों को आवंटन किया जाना भी विवाद्यक रहा है तथा आवंटन कार्यवाहियों के संबंध में नियमानुसार रिकार्ड संधारण नहीं करते हुए आवंटन सलाहकार समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण समुचित तरिके से आवंटन कार्यवाही के साथ

  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)


सलाहकार समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण समुचित तारिके से आवंटन कार्यवाही के साथ लिपिबद्ध नहीं किया जाकर उपस्थिति/अनुपस्थित सदस्यों की पुष्टि नहीं किया जाना भी किये जाने आवंटनों को विवादित बनाता है।

प्रस्तुत प्रकरणों में आवंटित भूमियों में से शत प्रतिशत भूमियों के पूर्व से काबिज काशत होने की स्थिति में उक्त भूमियों के आवंटन से गैर-खातेदारी के बजाय सद्भाविक कब्जा-काशत एवं आवंटी की पात्रता अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत नियमन कार्यवाही करते हुए नियमन हेतु देय राजकीय शुल्क राशियों को नियत राजस्व मद में जमा कराये जाने उपरान्त नियमन किया जाना था जिससे राजस्व आय के साथ साथ आवंटियों/अतिक्रमियों के विरुद्ध संचालित धारा 91 की कार्यवाही समाप्त होकर राजकीय भूमियों का उचित प्रबंधन किया जा सकता था।

इस संबंध में आवंटन जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में उल्लेखित तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं की अनुसरण में प्रार्थी/तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समान प्रक्रिया एवं समान बिन्दुओं पर विरुद्ध अप्रार्थी/आवंटीगण समुचित रूप से सिद्ध होकर स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी/आवंटीगण स्वीकार किये जाकर प्रकरण में संदर्भित समस्त विवादित आवंटनों को निरस्त किया जाता है और तहसील प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आवंटनों के प्रतिफल स्वरूप अवैध आवंटियों के नाम दर्ज राजकीय भूमियों की गैर-खातेदारियां विलोपित कर आवंटित भूमियों को पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जावें। पत्रावलियां फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।



(डॉ. अंजलि राजौरिया)  
जिला कलेक्टर  
प्रतापगढ़